



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U. P. Power Corporation Limited

(U.P.Govt. Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

e-mail- ds.02b@uppcl.org



संख्या :20-अ०प्र०(2ब)/पा०का०लि०/2025

दिनांक: 10.03.2025

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा, कारपोरेशन कार्यहित में निम्नांकित अधिशासी अभियन्ता (वै०एवंयां०) को स्तम्भ संख्या-3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर, स्तम्भ संख्या-4 में उल्लिखित निगम/कार्यालय को तैनाती हेतु आवंटित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/अभिज्ञान सं०/सैप आईडी/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति तिथि	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	स्थानान्तरण के पश्चात् आवंटित निगम/कार्यालय
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री पीयूष श्रीवास्तव/2015231/11001882/भदोही/31.07.2049	अधिशासी अभियन्ता, आई०टी० इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।	यू०पी० एस०एल०डी०सी०लि०, विभूति खण्ड, लखनऊ।

- उपरोक्त अभियन्ता को प्रबन्ध निदेशक, यू.पी.एस.एल.डी.सी.लि. के अनुरोध पर यू.पी.एस.एल.डी.सी.लि. में तीन वर्ष अथवा अग्रिम आदेश, जो भी पहले हो, तक secondment के रूप में तैनाती प्रदान की जाती है। उक्त अवधि के पश्चात् यह तैनाती समाप्त मानी जाएगी।
- निदेशक, यू.पी.एस.एल.डी.सी.लि. उपरोक्त अभियन्ता को तीन वर्ष अथवा अग्रिम आदेश, जो भी पहले हो, के पश्चात् यू.पी.एस.एल.डी.सी.लि. से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यमुक्त कर देंगे।
- उपरोक्त अभियन्ता यू.पी.एस.एल.डी.सी.लि. से कार्यमुक्त होने के पश्चात् कारपोरेशन (मुख्यालय) अथवा नव तैनाती स्थल, जो भी लागू हो, में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। यदि तीन वर्ष अथवा निर्धारित अवधि के उपरान्त वह नव तैनाती स्थल पर आकर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो यह समझा जाएगा कि वह नव तैनाती स्थल पर कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं, तदनुसार उनके विरुद्ध विभागीय प्रक्रिया आरम्भ कर दी जाएगी।
- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्त की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001, दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।
- उपरोक्त अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाये।
- यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में का०ज्ञा० में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिये मान्य होगा।

अध्यक्ष

संख्या: 20(i) अ०प्र०(2ब)/पा०का०लि०/2025 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०द्रा०का०लि०, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल, वाराणसी/मध्यांचल, लखनऊ/दक्षिणांचल, आगरा/पश्चिमांचल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को, कानपुर।

- 3- निदेशक, यू0पी0 एस0एल0डी0सी0लि0, लखनऊ को बिन्दु सं0-03 के अनुरूप ससमय कार्यवाही हेतु।
- 4- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0 ट्रान्समिशन का0लि0।
- 5- मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटराइजेशन इकाई/आई0टी0, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 6- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 7- उप सचिव, जनशक्ति, प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक सुधार, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 8- अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रताप सिंह)
अपर सचिव (द्वितीय)